न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कासगंज

JO Code No-UP6124

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1711/2022

(CNR UPKR01004093-2022)

संतोष सिह पुत्र श्री रिषीपाल निवासी ग्राम गढिया नरसू थाना पटियाली जनपद कासगंज

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–161/2022
धारा 304बी.,498ए भारतीय दण्ड संहिता एवं
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–पटियाली, जिला–कासगंज।

आदेश

20.10.2022

आवेदक/अभियुक्त सन्तोष सिंह की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या–161/2022 धारा 304बी., 498ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–पटियाली, जिला–कासगंज के प्रकरण में जेल में निरूद्व होने पर जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा संजीव सिह द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसने अपनी बहन निशा की शादी जगमोहन उर्फ मोनू पुत्र श्री संतोष सिंह निवासी गढ़िया नरसू थाना पटियाली जनपद कासगंज के साथ हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक 11.05.2018 को की थी। शादी मे अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा किया, बहन के ससुराल वाले आये दिन दहेज के लिए मारपीट करते रहते थे जब बहन उसके घर आती को वह घर वालो को बताती थी कि वह दहेज के लिए उसकी बहुत मारपीट करते हैं तथा दहेज मे चार पहिया की गाड़ी या उसकी कीमत के रुपये की मांग करते हैं। उसने अपनी बहन की ससुराल मे जाकर बहुत बार समझाया फिर भी बहन के ससुरालीजन नही माने तथा उसकी बहन को दिनांक 15.07.2022 को रिषीपाल, सन्तोष सिंह, रतनेशा देवी व जगमोहन उर्फ मोनू ने जहर देकर मार डाला। बहन के ससुराल के गाँव वालों से खवर मिलने पर उसके घर वाले बहन के ससुराल गये, तो देखा कि बहन की लाश पड़ी थी और ससुरालीजन बहन के सभी आभूषण लेकर फरार हो गये थे। उसने पुलिस को सूचना दी तब पुलिस मौके पर आई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की किये जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा विवेचना जारी है।

उभय पक्षों को सुना गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष है। उसे झूॅठा व रंजिशन फंसाया गया है। उसके द्वारा उक्त केस से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । वह मृतका का ससुर है जो अपने पुत्र जगमोहन उर्फ मोनू से अलग निवास करता है। मृतका निशा की शादी को लगभग चार वर्ष हो गए और उसके कोई बच्चा नहीं था, जिसका आवेदक/अभियुक्त के पुत्र जगमोहन उर्फ मोनू ने काफी इलाज भी कराया। लेकिन कोई बच्चा न होने पर वह मानसिक दवाव में रहने लगी और उसने भावावेश में आकर स्वयं जहर खाकर आत्म हत्याकर ली।पोस्ट मार्टम रिपोर्ट,प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं करती है। घटना का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त सजायाफ्ता नही है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं तथा मृतका का ससुर है, जिसके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया व जहर दे कर दहेज मृत्यु कारित की गयी है।

उभय पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी में संकलित साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा मृतका का ससुर है और उसके विरूद्ध मृतका से दहेज की मांग करने, प्रताड़ित करने व जहर देकर दहेज मृत्यु कारित करने के अभियोग हैं। अभियोजन कथानक के अनुसार विवाह के पॉच वर्ष के अन्दर आस्वाभाविक परिस्थितियों में मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में हुई है। लगाया गया अभियोग गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये, मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना इस स्तर पर न्यायालय की राय में अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार IV)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
कासगंज
20.10.2022

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2022.10.20 16:35:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court